न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 14/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00014)

1. दीन मोहम्मद पुत्र रहमतुल्ला जाति काजी निवासी वार्ड सं. 12 चूरू
2. गुलहसन पुत्र रहमतुल्ला जाति काजी निवासी वार्ड सं. 12 चूरू

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसील चूरू।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 28–09–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, चूरू के निर्णय दिनांक 17–05–2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता रहमतुल्ला के खसरा नं. 253 मीन तादादी 13 बीधा 11 बिश्वा एव खसरा नं. 254 मीन तादादी 20 बीधा 13 बिश्वा कुल तादादी 34 बीधा 04 बिश्वा रोही कस्वा चूरू में स्थित है। जिसकी गैर खातेदारी अधिकारो की धोषणात्मक डिक्री प्राप्त किये जाने हेतु दावा सहायक कलक्टर चूरू मे पेश किया। दावा डिक्री दिनांक 31.10.1988 में निर्णय मे से शब्द खसरा नं. 254 की 20 बीधा 13 बिश्वा भूमि अंकित होना रह गया था। तहसीलदार चूरू ने नामान्तरण संख्या 478 दर्ज किया जिसमे प्रार्थीगण के पिता को उक्त भूमि उप कृषक दर्ज किया गया। अत : न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) चूरू के निर्णय व डिक्री दिनाक 31.10.1988 की अनुपालना दर्ज नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 21.11.1988 व जमाबंदी सम्वत् 2043 मे संशोधन किया जाकर वर्तमान कृषि भूमि के खसरा नं. 253 मीन तादादी 13 बीधा 11 बिश्वा एव ख्सरा नं. 254 मीन तादादी 20 बीधा 13 बिश्वा कुल तादादी 34 बीधा 04 बिश्वा रोही कस्वा चूरू की जमाबंदी को दुरूस्त किया जाकर मुतबिक नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 21.11.1988 के मुताबिक अंकन फरमाया जाकर जमाबदी मे संशोधन किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपीलान्ट के पिता रहमतुल्ला के कब्जे काश्ता की भूमि खसरा नं. 253 मीन तादादी 13.11 बीधा एव खसरा नं. 254 मीन तादादी 29.13 बीधा कुल तादादी 34 बीधा 04 बिश्वा रोही कस्वा चूरू में स्थित है। अपीलान्ट के पिता ने उक्त भूमि को अपने गैर खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत एक वाद संख्या 27/87 अनुवानी रहमतुल्लाह आदि बनाम मस्जिद काजीयान आदि सहयक कालक्टर चूरू मे पेश किया था जिसमे निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.1988 एव संशोधन आदेश दिनांक 7.11.1988 के अनुसार खसरा नं. 253 की 13.11 बीधा एव खसरा नं. 254 की 20.13 बीधा भूमि का उपकृषक धोषित किया गया था। उक्त निर्णय एव डिक्री की पालना मे अपीलान्ट के पिता के नाम नामान्तरण संख्या 478 दिनांक 21.11.1988 दर्ज किया गया। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.1988 एव संशोधन आदेश दिनांक 7.11.1988 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर मे अपील पेश हुई जिसमे स्थगन आदेश जारी हो जाने के कारण नामान्तरण संख्या 478 का अंकन जमाबन्दी मे नही हो सका। तत्पश्चात उक्त अपील दिनांक 08.03.2011 को निरस्त हुई। तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 478 की पालना होनी चाहिए थी। जो लिपिकीय भूलवंश नही हो सकी। जिस पर अपीलान्ट ने दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। नामान्तरकरण संख्या 478 की प्रवृष्टि को राजस्व रिकोर्ड मे लाने का काम रेस्पोडेन्ट का था लेकिन लिपीकिय त्रुटि वंश छूट गया जिसकी शुद्वि करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय का था, फिर भी आदेश जैर अपील को निरस्त कर दिया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.05.2019 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट का दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत भूमि अपीलान्टान के नाम राजस्व रिकोर्ड मे शुद्वि कर दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

अति. संभाग आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 17.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट. खारिज किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के सहायक कलक्टर चूरू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.1988 की पालना में दर्ज एवं स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 478 का अंकन जमाबन्दी में करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 136 में प्रस्तुत किया है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व प्रस्तुत अपील भी खारिज होना तथा नामान्तरकरण सं. 478 को यथावत होना अधीनस्थ न्यायालय ने माना है। अंत में न्यायालय ने निष्कर्ष लिया है कि अपीलान्ट निर्णय व डिक्री की पालना चाहा रहा है जबकि निर्णय व डिक्री की पालना नामान्तरकरण सं. 478 के रूप में पूर्व ही हो चुकी है, अब तो प्रश्न केवल नामान्तरकरण सं. 478 के आधार पर जमाबन्दी मे अमलदरामद का है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी चूरू का निर्णय दिनांक 17.05.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चूरू को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है प्रकरण में नामान्तरकरण/जमाबन्दी की जांच कर उचित आदेश पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।